26279
13-4-22

सेवा में,

दिनांकः...........

R.T.I-20164
Planning

श्रीमान मुख्य सूचना अधिकारी महोदय,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
जनपद गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा मिले असंतुष्ट जवाब के सम्बन्ध में अपील।

महोदय,

प्रार्थी ने एक आर टी आई दिनांक 04.01.2022 को जन सूचना अधिकारी ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के समक्ष लगाई थी जिसमें मुख्य प्रश्न बिन्दुवार इस प्रकार थे :-

बिसरख जलालपुर ग्राम की जमीन में नदी व बांध के बीच बनाये गये कब्रिस्तान का सम्पूर्ण विवरण :-

1. कब्रिस्तान का क्षेत्र लम्बाई व चौड़ाई सहित जो कि नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है। मय दस्तावेज देने की कृपा करें।
2. पूर्व में जिस कब्रिस्तान के बदले में नया कब्रिस्तान स्थानान्तरित किया गया है पूर्व कब्रिस्तान का सम्पूर्ण विवरण (खसरा सं0, लम्बाई चौड़ाई नक्शा आदि) तथा स्थानान्तरित किये जाने का कारण मय दस्तावेज देने की कृपा करें।
3. हिन्डन नदी व बांध के बीच में बनाये गये कब्रिस्तान के लिये ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा सभी संबंधित विभागों से अनुमति ली गई या नहीं अगर ली गई है तो दस्तावेज उपलब्ध करायें और नहीं ली गई है तो कारण स्पष्ट करें।
4. कब्रिस्तान के आस-पास खाली पड़ी जमीन का विवरण जो कि प्राधिकरण द्वारा क्रय की जा चुकी है मय दस्तावेज देने की कृपा करें।
5. कब्रिस्तान बन जाने की वजह से वहां खेती कर रहे किसानों को आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उसके किये आपके द्वारा किसानों को कोई सुविधा दी गई या नहीं मय दस्तावेज देने की कृपा करें।

AA. GM Planning
18/4/22

Ref- GM (Planning)
App- 3482
18-4-2022

6. कब्रिस्तान बनाने के लिये जमीन का उपयोग जो कि वर्तमान में कृषि भूमि परिवर्तित किया गया या नहीं अगर किया गया तो मय दस्तावेज देने की कृपा करें।

महोदय जी समक्ष जन सूचना अधिकारी ने जो जबाव दिये हैं वह स्पष्ट नहीं है, और स्थिति को स्पष्ट करने के बजाय और उलझा देते हैं या यूं कहे जबाव सिर्फ टालमटोल के लिए दिया गया है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी उक्त आर टी आई पर बिन्दुवार स्पष्ट जबाव दिलवाने का आदेश पारित करने की कृपा करें जिससे प्रार्थी संतुष्ट हो सके।

सूचना का समय अब तक

मैं आवेदन फीस के रूप में रु.100/-...... का पोस्टल ऑर्डर संख्या 46H 510537 अलग से जमा कर रहा हूँ।

नोट :- कृप्या उक्त सभी मांगी गयी जानकारी लिखित में हिन्दी राष्ट्रभाषा में देने की कृपा करें तथा किसी भी प्रकार का इण्टरनेट एवं बेवसाईट का हवाला नहीं दिया जाये।

संलग्नः

1. प्रतिलिपि मुल आर टी आई दिनांक 04.01.2022
2. प्रतिलिपि उत्तर जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांकः नियो0/आर0टी0आई0/2022/342 दिनांक 27.01.2022

भवदीय

Sanjay Sharma

संजय शर्मा

ग्राम सौहरखा जाहिदाबाद,

तहसील दादरी, नौएडा

जनपद गौतमबुद्धनगर

मो0 9911121082

FTS - 863 | (342) 27/1/
RTI - 20164 | PL4

सेवा में,

दिनांकः 4/1/22 2735
S. Peed P

श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
जनपद गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–6 व 7 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतू आवेदन पत्र।

महोदय,

बिसरख जलालपुर ग्राम की जमीन में नदी व बांध के बीच बनाये गये कब्रिस्तान का सम्पूर्ण विवरण :–

1. कब्रिस्तान का क्षेत्र लम्बाई व चौड़ाई सहित जो कि नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है। मय दस्तावेज देने की कृपा करें।
2. पूर्व में जिस कब्रिस्तान के बदले में नया कब्रिस्तान स्थानान्तरित किया गया है पूर्व कब्रिस्तान का सम्पूर्ण विवरण (खसरा सं0, लम्बाई चौड़ाई नक्शा आदि) तथा स्थानान्तरित किये जाने का कारण मय दस्तावेज देने की कृपा करें।
3. हिन्डन नदी व बांध के बीच में बनाये गये कब्रिस्तान के लिये ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा सभी संबंधित विभागों से अनुमति ली गई या नहीं अगर ली गई है तो दस्तावेज़ उपलब्ध करायें और नहीं ली गई है तो कारण स्पष्ट करें।
4. कब्रिस्तान के आस–पास खाली पड़ी जमीन का विवरण जो कि प्राधिकरण द्वारा क्रय की जा चुकी है मय दस्तावेज देने की कृपा करें।
5. कब्रिस्तान बन जाने की वजह से वहां खेती कर रहे किसानों को आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उसके किये आपके द्वारा किसानों को कोई सुविधा दी गई या नहीं मय दस्तावेज देने की कृपा करें।
6. कब्रिस्तान बनाने के लिये जमीन का उपयोग जो कि बर्तमान में कृषि भूमि परिवर्तित किया गया या नहीं अगर किया गया तो मय दस्तावेज देने की कृपा करें।

सूचना का समय अब तक

मैं आवेदन फीस के रूप में रु० पचास...... का पोस्टल ऑर्डर संख्या 88G..861443 अलग से जमा कर रहा हूँ।

नोट :– कृप्या उक्त सभी मांगी गयी जानकारी लिखित में हिन्दी राष्ट्रभाषा में देने की कृपा करें तथा किसी भी प्रकार का इण्टरनेट एवं बेवसाईट का हवाला नहीं दिया जाये।

04-01-2022

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
कार्यालय: 01, सेक्टर नॉलेज पार्क-4
ग्रेटर नोएडा सिटी 201310
जिला-गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

भवदीय

Sanjay Sharma

संजय शर्मा
ग्राम सौहरखा जाहिदाबाद,
तहसील दादरी, नौएडा
जनपद गौतमबुद्धनगर
मो0 9911121082

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–01 सैक्टर–नॉलेजपार्क–4 ग्रेटर नोएडा सिटी,
गौतम बुद्व नगर

पत्रांकःनियो0 / आर0टी0आई / 2022 / 342
दिनांक 27/01/2022

सेवा में,

Sh.Sanjay Sharma
Village-Sorakha Jahidabad
Sector-115, Noida, G.B.Nagar

विषयः– जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के आर0टी0आई0 पत्र संख्या–20164 के सम्बन्ध में।

कृपया अपने आर0टी0आई0 पत्र दिनांक 06.01.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपके द्वारा सूचना हेतु आवेदन किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–1 प्रांरभिक–1 की धारा 2(च) के अर्न्तगत सूचना से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट कागजपत्र नमुने, माडल, आंकड़ो संबधी समाग्री और किसी प्राइवेट निकाय से सबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है।

सहा0 जन सूचना अधिकारी
नियोजन अनुभाग

प्रतिलिपिः नोडल अधिकारी सी0आर0सेल0 को आर0टी0आई निस्तारण के सम्बन्ध में।

सहा0 जन सूचना अधिकारी

এশ টকা একশ টাকা સો રૂપિયા ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು [illegible] നൂറു രൂപ शंभर रुपये ଏକଶହ ଟଙ୍କା ਇਕ ਸੌ ਰੁਪਏ शतं रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

जारी करने वाले डाकघर की मोहर तारीख सहित ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

PAY TO मुख्य सूचना अधिकारी महोदय, ग्रेटर नोएडा औ० वि० प्राधिकरण को

एक सौ रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES ONE HUNDRED ONLY

अदा करने वाले डाकघर की मोहर तारीख सहित PAYING OFFICE STAMP WITH DATE CANCELLING THIS ORDER

सत्यमेव जयते

₹ 100

कमीशन COMMISSION रुपए 10 RUPEES

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे ।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

Sanjay Sharma
Vill-Sarkha

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें ।

13-4-22

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

वैधता- जारी करने के महिने के अंतिम दिन से 24 महिने और द्वितिय कमिशन के भुगतान जारी करने के महिने की अंतिम दिन से 36 महिने।
Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

நூறு ரூபாய் వంద రూపాయలు سو روپے

46H 510537